

214

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 3719-I/12

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनरीक्षण

सुरेश कुमार पुत्र महादेव प्रसाद निवासी-
जगन्नाथपुरा तहसील रौन जिला भिण्ड
(म.प्र.) ----प्रार्थी/आवेदक

कां. प्रौ. श्रीगोमंतव, कां.प्रौ.

तथा आज दि. 30-10-12

पुस्तक

फरक

कलक ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

महिला सवित्री देवी पत्नी नाथूराम,
जाति- ब्राह्मण, निवासी- ग्राम
जगन्नाथपुरा तहसील रौन जिला भिण्ड
(म.प्र.) ---प्रतिप्रार्थी/अनावेदिका

(Signature)
30.10.12

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50(1), म०प्र०भू०रा०सं०
1959, विरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला भिण्ड दिनांक 30, 08
किया गया।

श्रीमान् जी,


प्रार्थी/आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण
निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- (1) यहकि, प्रार्थी/आवेदक तथा प्रतिप्रार्थी/अनावेदक के मध्य माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लहार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 3/2010-11/बी-121 पर एक प्रकरण दर्ज होकर सुनवाई में था। उक्त प्रकरण में साक्ष्य के प्रक्रम पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय, द्वारा प्रार्थी/आवेदक को आदेशित किया गया था कि आवेदक अपनी साक्ष्य को स्वयं हमराह लेकर आये तथा साक्षीगण के कथन करायें।
- (2) यहकि, प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने साक्षीगण से नियत पेशी तारीख को न्यायालय में साक्ष्य हेतु साथ चलने का निवेदन किया परन्तु साक्षीगण द्वारा प्रार्थी/आवेदक से कहा गया कि हमारे लिये न्यायालय का कोई नोटिस वास्ते साक्ष्य जारी नहीं किया गया है यदि न्यायालय से कोई नोटिस या सूचना-पत्र आता है उसी स्थिति में हम लोग साक्ष्य देने जा सकेंगे।

(Signature)

R 3719 - E/12 (Pras)



16.11.16

~~आड. आदि. श्री आ. पी. श्रीवास्तव~~
~~आडु। आडेरक परत को भेजा गया~~
~~नोरिक सर्व होम काविक उपर~~
~~परतु इनको आदे के मोर उप. नही।~~
~~लमप. लमप पर गेन वार पुकार कागरी~~
~~गरी। आडेरक श्री अनुपस्थिति के कारण~~
~~उकलन अडम परवी में रवारिन~~
~~ह।~~

श्रीवास्तव

200000


 स. स. स.